न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 33/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/39

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री अभिषेक पुत्र श्री भवरलालजी डोसी मैसर्सः– नीरव ट्रेडर्स नेहरू मार्ग मैन बाजार, कुशलगढ, बांसवाडा
2. Shabbir Ali Husain Pitolwala m/s- Sheikh Alihusain E. Pitolwala, 4274, Netaji Bazar, Padav Road, Dhaod (Gujarat) 389151
3. Sunil Govindram Gangwani m/s- Krishna Marketing, A-234 Lilamani Trade Centre, Opp.- BRTS Cabin, Mehndi Kuwa Road, Delhi Darwaja, Ahmedabad (Gujarat) M.NO. 8000094522
4. Bhavsar Janak Kumar Nathalal m/s- Hinglaz Products, 100/101, 128/129 Rajratna Industries At Post Budasan, Kadi Mehsana (Gujarat)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 06.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 17–03–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 25–03–2022 को 03.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स – नीरव ट्रेडर्स नेहरू मार्ग मैन बाजार, कुशलगढ, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर अभिषेक पुत्र श्री भवरलालजी डोसी उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स नीरव ट्रेडर्स नेहरू मार्ग मैन बाजार, कुशलगढ, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर Inter Esterified Veg. Fat. (Brand- Sweet Lite) के 18 पैक जार प्रत्येक 500 – 500 gm का आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए Inter Esterified Veg. Fat. (Brand- Sweet Lite) के 04 मूल पैक जार वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत

निर्णयन अधिकारी
जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Inter Esterified Veg. Fat. (Brand- Sweet Lite) के पैक पैकेट के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर** तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1022** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/151–152 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 427 दिनांक 18–04–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Veg. Fat. (Brand- Sweet Lite)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1022** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Violate food safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, Hence it is declare Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20–03–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28–03–2023 को अप्रार्थीगणो की ओर से अभिभाषक श्रीमती सुमन जैन ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगणों ने उपस्थित होकर दिनांक 06.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/151–152 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 427 दिनांक 08–04–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Inter Esterified Veg. Fat. (Brand- Sweet Lite)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1022** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Violate food safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, Hence it is declare Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) व 3(1)(zf) के तहत सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड **Inter Esterified Veg. Fat. (Brand- Sweet Lite)**को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणों **अभिषेक पुत्र श्री भवरलालजी डोसी मैसर्स नीरव ट्रेडर्स नेहरू मार्ग मैन बाजार, कुशलगढ, बांसवाडा, को** रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से, **Shabbir Ali Husain Pitolwala m/s- Sheikh Alihusain E. Pitolwala, 4274, Netaji Bazar, Padav Road, Dhaod (Gujarat) 389151 को** रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से, **Sunil Govindram Gangwani m/s- Krishna Marketing, A-234 Lilamani Trade Centre, Opp.-BRTS Cabin, Mehndi Kuwa Road, Delhi Darwaja, Ahmedabad (Gujarat) M.NO. 8000094522 को** रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से तथा **Bhavsar Janak Kumar Nathalal m/s- Hinglaz Products, 100/101, 128/129 Rajratna Industries At Post Budasan, Kadi Mehsana (Gujarat) को रूपये 30000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner